भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1265**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**शिशु देखभाल केन्द्रों में बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश**

**1265. श्री नारायण लाल पंचारियाः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिशु देखभाल केन्द्रों में रह रहे बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शिशु देखभाल केन्द्रों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

 डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (घ) : किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) (जेजे) अधिनियम, 2015 देखरेख और संरक्षण की आवश्‍यकता वाले बालकों तथा विधि का उल्‍लघन करने वाले बालकों के हित को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया एक प्राथमिक कानून है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत ‘बाल संरक्ष्‍ाण सेवाओं’ के कार्यान्‍वयन का उद्देश्‍य देखरेख और संरक्षण की आवश्‍यकता वाले बालकों की सुरक्षा और बच्‍चों के दुरूपयोग, शोषण और उनके परिवारों से पृथक्‍करण वाली स्‍थितियों और कार्यवाहियों के प्रति संवेदनशीलताओं को कम करने के लिए समर्पित ढ़ॉचे, सेवाओं और कार्मिकों के सुरक्षा नेट का सृजन करना है।

मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्‍चित करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं कि राज्‍य और केन्‍द्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत आदेशानुसार बाल देखरेख संस्‍थानों (सीसीआईज) की नियमित निगरानी एवं जांच करें। इसके अतिरिक्‍त मंत्रालय ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (सीपीसीआर) भी बनाया है जिसके अंतर्गत देश में किशोर न्‍याय अधिनियम का कार्यान्‍वयन करने के लिए वैधानिक निकायों के रूप में राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्‍य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) का सृजन किया है । मंत्रालय ने किसी बाल देखरेख संस्थान में होने वाले अप्रिय घटना के किसी मामले में बच्‍चों के जीवन में अवरोध आने की स्‍थिति में की जाने वाली कार्यवाही के सम्‍बन्‍ध में राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को एक परामर्शी भी जारी किया है ।

\*\*\*\*\*\*\*